रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1991/श्रावण 19, 1913
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1991/SRAVANA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 1991

का.नि.आ 145.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय (समूह "क" राजपत्रित) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
PROMOTION : Chief Administrative officer in the pay scale of Rs. 3700 -5000 with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central/State Governments/Union territories holding.: (a) (i) analogous posts on a regular basis ; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700—5000 or equivalent ; and (b) Possessing experience in Administration establishment and accounts matters. NOTE : (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Governments shall not exceed 5 years).	GROUP 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotions). 1. Chairman/Member Union Public Service Commission . Chairman 2. Chief Controller Research & Development or Additional Secretary (Defence Research) — Member 3. Director of Personnel/Director of Manpower Planning and Development, Research & Development Organisation, — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while selecting officer for appointment to the post on deputation.

[F. No. DRDO/76207/RD/MPD-2/2161/D (R&D)]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1991

का. नि. आ. 146-- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है):

(1) नियम 8 में, उपनियम (2) में, खण्ड (क) में, "सेवा में" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "अधीन की जाएगी" शब्दों से समाप्त होने वाले प्रारंभिक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"सेवा में एक श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति, नम्य पूरक स्कीम के अधीन ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जिनके पास अनुसूची (1) में दी गई मुख्य-मुख्य शैक्षिक अर्हताएं हों।"

(2) उक्त नियमों की अनुसूची 1क में टिप्पण को टिप्पण-1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुन: संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"टिप्पण 2--सलाहकार या वैज्ञानिक "छ" को निदेशक के स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है।"

[सं. डी आर डी ओ 76205/ आर डी/एम पी डी-2/ 2415/डी (आर एण्ड डी)]

टिप्पण.--रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा के मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड 4 में का. नि. आ. 8 दिनांक 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें का. नि. आ. 307 दिनांक 10 नवम्बर 1980, का. नि. आ. 196 दिनांक 2 अगस्त 1982, का. नि. आ. 159 दिनांक 5 मई 1983, का. नि आ. 178 दिनांक 7 अगस्त, 1984, का. नि. आ. 228 दिनांक 13 नवम्बर, 1984, का. नि. आ. 170 दिनांक 12 जुलाई 1985, का. नि. आ. 186 दिनांक 3 अगस्त, 1985 का. नि. आ. 228 दिनांक 6 जून, 1981, का. नि. आ. 153 दिनांक 4 मई 1987, का नि. आ. 323 दिनांक 25 सितम्बर, 1987, का. नि. आ. 11ई दिनांक 10 अगस्त 1990 का. नि. आ. 1 दिनांक 4 जनवरी 1991, का नि. आ. 33 दिनांक 17 जनवरी 1991 और का. नि. आ. 74 दिनांक 5 मार्च 1991 द्वारा संशोधन किये गये थे।

New Delhi, the 4th July, 1991

S.R.O. 146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research & Development Service Rules 1972, namely:

(1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Third Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (herein after referred to as said rules).—

(1) In rule 8, in sub-rule (2) in clause (a) for the opening portion beginning with the words "promotion from" and ending with "Flexible Complementing Scheme", the following shall be substituted, namely :—

"Promotion from one grade to the next higher grade in the service shall be made under the Flexible Complementing Scheme from amongst the officers possessing the broad educational qualifications as given in Schedule III".

(2) In Schedule 1A, to the said rules, the Note shall be renumbered as Note. 1 thereof and after the Note. 1 as so renumbered, the following note shall be added, namely:—

"Note. 2 Adviser or Scientist 'G' can be nominated in place of Director".

[No. DRDO/76205/RD/MPD-2|2415|D(R&D)]

NOTE : The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November 1984, S..R.O. 170 dated the 12th July 1985, S.R.O 186 dated the 2nd August 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June 1985, S.R.O. 158 dated 4th May 1987, S R.O. 328 dated 25th September 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January 1991 and S.R.O. 74 dated 05th March 1991.

नई दिल्ली, 12 जून, 1991

का. नि. आ. 147--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (चिकित्सा परिचर) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (चिकित्सा परिचर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (चिकित्सा परिचर) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में ड्रेसर (चयन श्रेणी), ड्रेसर (सामान्य श्रेणी) और परिचर्या (नर्सिंग) सहायक के पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 3, 4 और 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"1. चिकित्सा सहायक

2. 47* (1991) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

4. 800-15-1010-द.रो.-20-1150 रु.

5. लागू नहीं होता।

6. 18 और 30 वर्ष के बीच

6(क) नहीं

7. आवश्यक:--

1. मैट्रिकुलेशन

2. छह सप्ताह का सेंट जॉन एम्बुलेंस पाठ्यक्रम या प्राथमिक उपचार में समतुल्य

8. लागू नहीं होता

9. दो वर्ष

10. सीधे भर्ती द्वारा

11. लागू नहीं होता

12. लागू नहीं होता

13. लागू नहीं होता

[सं. 89573/आर. डी./एम.पी.डी./2059/डी.(आर. एण्ड डी.)]

टिप्पण:--मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में का. नि. आ. संख्या 118 दिनांक 26 फरवरी 87, जो 28 मार्च 87 को प्रकाशित किए गये थे।

New Delhi, the 12th June, 1991

S.R.O. 147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research & Development Organisation (Medical Attendants) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation (Medical Attendants) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Defence Research and Development Organisation (Medical Attendants) Recruitment Rules, 1987, for serial numbers 3, 4 and 5 relating to posts of Dresser (Selection Grade), Dresser (Ordinary Grade) and Nursing Assistant and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"1. Medical Assistant.

2. 47* (1991) *Subject to variation depending on workload.

3. General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.

4. Rs. 800-15-1010-EB-20-1150.

5. Not applicable.

6. Between 18 and 30 years.

6(a) No.

7. Essential—1. Matriculation.

2. Passed six weeks course of St. John's Ambulance or equivalent in first Aid.

8. Not applicable.

9. Two years.

10. By direct recruitment.

11. Not applicable.

12. Not applicable.

13. Not applicable.

[No.. 89573/RD/MPD/2059|D(R&D)]

Note : The principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4 vide Government Notification in the Ministry of Defence S.R.O. 118 dated 26 Feb 87, published on 28 Mar 87.